कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2400/11–सी–FP/UP/Road/147236/2021, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 20 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
गोण्डा।

विषयः– बहराइच–गोण्डा मार्ग एस0एच0–30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2305/33–1, दिनांक 18.01.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

<u>बहराइच वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।
2. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एन0पी0वी0 की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
5. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
6. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
9. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
10. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है, जोकि गलत है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में अंकित करें।
11. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमाक–3 District wise area to be diverted in the division में कोई डाटा फीड नहीं किया गया है।
12. ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 के District Profile में फीड किया गया विवरण भिन्न–भिन्न है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 के District Profile में फीड करें।
13. प्रस्ताव में संलग्न किया गया Profarma-29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।
14. ऑनलाइन भाग–2 में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
15. पेनड्राइव में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

Scanned with CamScanner

गोण्डा वन प्रभागः—

1. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।
2. पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु सारांश में बाधक वृक्षों का व्यासवार गलत अंकित किया गया है। अतः सही कर संशोधित सारांश ऑनलाइन अपलोड करें।
3. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एन0पी0वी0 की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
6. पावर ऑफ एर्टोनी/आथारिटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।
9. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

16. मलवा उत्र्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
17. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

10. रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
11. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
12. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है, जोकि गलत है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में अंकित करें।
13. हार्डकापी भाग–2 में 2637 बाधक वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की सं0 हार्डकापी भाग–2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
14. प्रस्ताव में संलग्न किया गया Profarma-29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।
15. ऑनलाइन भाग–2 में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
16. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भाग–2 अपलोड नहीं किया गया है।
17. पेनड्राइव में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

श्रावस्ती वन प्रभागः—

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गयी है, किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण रूप से भरा भी नहीं गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित वनभूमि की गणना पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।
4. पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा ऑनलाइन भाग–2 में 8546 वृक्षों को अपलोड किया गया है, जबकि प्रस्ताव में बाधक 6299 वृक्षों की सूची संलग्न है तथा व्यासवर्ग में सं0 भी भिन्न–भिन्न है। अतः सही व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न तदानुसार संलग्न करें।

Scanned with CamScanner

5. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एन0पी0वी0 की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
8. प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
9. प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है तथा स्थल भी चिन्हित नहीं किया गया है।
10. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
11. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
12. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
13. रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
14. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
15. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है, जोकि गलत है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में अंकित करें।
16. ऑनलाइन भाग–2 में 8546 बाधक वृक्षों को अपलोड किया गया है, जबकि हार्डकापी भाग–2 में 6299 बाधक वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
17. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–7 एवं हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–9 में विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है तथा हार्डकापी भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि भी गलत अंकित है।
18. ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 के District Profile में फीड किया गया विवरण भिन्न–भिन्न है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 के District Profile में फीड करें।
19. प्रस्ताव में संलग्न किया गया Profarma-29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।
20. ऑनलाइन भाग–2 में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
21. ऑनलाइन भाग–2 में CA का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है।
22. ऑनलाइन भाग–2 क्रमांक–16 प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भाग–2 अपलोड नहीं किया गया है।
23. पेनड्राइव में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है तथा प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल गोण्डा वन प्रभाग की अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल एवं प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03–03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03–03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

पत्रांकः— 2400 /11–सी–FP/UP/Road/147236/2021, दिनांकित।
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती।
2. अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– 2383 /33–1, दिनॉक, गोण्डा, जनवरी 20 /2023

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख 04 प्रतियों में संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अग्रेसित
20/1/23
प्रधान सहायक
कार्यालय वन संरक्षक
देवीपाटन वृत्त, गोण्डा

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय),
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

Scanned with CamScanner